आज़ादी का अमृत महोत्सव

भीम BHIM

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.17(4)नविवि/नियम/2022 जयपुर, दिनांक 11 MAY 2022

आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट वर्ष 2022–2023 में की गई घोषणा के क्रम में इस विभाग के आदेश क्रमांक प.3(63)नविवि/3/2005 दिनांक 05.04.2007 के बिन्दु सं0 (i) में उल्लेखित शर्तों के अधीन समाचार पत्रों (मीडिया प्रतिष्ठानों) को राज्य सरकार द्वारा आवंटित भूमि पर निर्मित भवन को सबलेट किये जाने की वर्तमान सीमा को बिल्ट–अप एरिया का 40 प्रतिशत से बढाकर 60 प्रतिशत किये जाने की राज्य सरकार की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है। शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
7. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
8. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अन्य अधिकारीगण, नगरीय विकास विभाग।
9. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग।
11. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नविवि।
12. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने बाबत।
13. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
14. समस्त सचिव, नगर विकास न्यास, राजस्थान।
15. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

Scanned with CamSc